भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>राज्य सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 2468</u>

(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 अगस्त, 2021/19 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"ईंधन पर लगाए गए करों का विभाजन"

2468 श्रीमती फूलों देवी नेतम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2015 से अब तक पेट्रोल और डीज़ल पर करों, उत्पाद शुल्कों और उपकरों से कितना वार्षिक राजस्व एकत्रित हुआ है;

(ख) राज्यों को राजस्व की कितनी राशि अंतरित की गई है;

(ग) ईंधनों की बिक्री के माध्यम से कर के रूप में अर्जित किए गए हर एक रुपये के लिए एक समुचित सहायक सूत्र के साथ राज्य और केंद्र सरकारों के बीच वितरण का अनुमान क्या है;

(घ) ईंधन पर करों, उत्पाद शुल्क और उपकरों की गणना करते हुए शामिल किए गए विभिन्न बजटीय शीर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उपकर के माध्यम से संगृहीत कुल राजस्व लगभग 13.7 लाख करोड़ रुपये हैं।

(ख): राज्य सरकार को केंद्रीय करों और शुल्कों में कर-वार हिस्सा वित्त आयोग द्वारा की गई अनुमोदित सिफारिशों के अनुसार हर महीने जारी किया जाता है। उत्पाद-वार करों और शुल्कों का हस्तांतरण नहीं किया जाता है।

(ग): राज्य पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट एकत्र करते हैं, जो राज्यों के बीच भिन्न होता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत पर, उत्पाद शुल्क (उपकर सहित) और राज्य वैट के बीच ईंधन पर कर के रूप में एकत्र किए गए प्रत्येक एक रुपये का वितरण क्रमशः लगभग 57 पैसे और 43 पैसे है।

(घ): प्राप्ति बजट के अनुसार ईंधन पर उत्पाद शुल्क को मुख्य शीर्ष 0038 में शामिल किया गया है।

*****